

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette  
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269449  
SG-DL-E-20012026-269449असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |                                                 |                             |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| सं. 19] | दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947   | [रा.रा.रा. क्षे.दि. सं. 415 |
| No. 19] | DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947 | [ N. C. T. D. No. 415       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

फा.सं. 6/1/2015—न्यायिक/अधी.विधि/125—133.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं, जो निम्नानुसार हैं : —

- (1) श्री दिनेश भट्ट, पहले से ही ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यथा दिनांक 01.01.2026 से नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश;
- (2) श्री अरुण भारद्वाज को उसके कनिष्ठ के कार्यभार संभालने की तिथि से प्रोफार्मा आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया;
- (3) श्री पीताम्बर दत्त को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में;

- (4) श्री संजय गर्ग-II को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के रूप में; तथा,
- (5) श्री पंकज गुप्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के रूप में।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 16th January, 2026

**F. No. 6/1/2015/Judl./Suptlaw/125-133.**—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as Principal District Judges, as under: -

- (1) Mr. Dinesh Bhatt, already Principal District & Sessions Judge under next below rule, as Principal District Judge on regular basis with effect from 01.01.2026;
- (2) Mr. Arun Bhardwaj as Principal District Judge on proforma basis with effect from the date his junior takes over;
- (3) Mr. Pitamber Dutt as Principal District Judge on regular basis with effect from the date he takes over;
- (4) Mr. Sanjay Garg-II as Principal District Judge under next below rule with effect from the date he takes over; and,
- (5) Mr. Pankaj Gupta as Principal District Judge under next below rule with effect from the date he takes over.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
REETESH SINGH, Principal Secy.